न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू–अर्जन प्र.क्र. 55 /अ–82/2014–15
ग्राम विजयपुर प.ह.नं. 30
तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,
एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदक.

विरूध्द

1– छोटेलाल पिता महादेव शर्मा
2– गुरूबारी वेवा मानसिंह जाति कंवर
3– गंगामती वेवा त्रिनाथो, बुध्देश्वर, भोलाराम,वासुदेव पिता त्रिनाथो जाति माली
4– मित्रभानू, नारायण, कन्हैया पि.हरिराम जाति माली
5– तुलसीबाई वेवा ईश्वर जाति गांड़ा

अनावेदकगण.

अवार्ड आदेश
(दिनांक 18 –11–2016)

(1) यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/01/08/15 विजयपुर दिनांक 06.8.2015 के अनुसार ग्राम–विजयपुर प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. व तह.–रायगढ़ जिला रायगढ़ के निजी भूमि कुल ख.नं. 5 कुल रकबा 0.200 हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

उपरोक्त भू–अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र कमांक 3062/राजस्व/ भू–अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :–

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि षेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू–अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईस ताप विद्युत परियोजना के कियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिष्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/ जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(2) उपरोक्त अनुक्रम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम विजयपुरके प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :-

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :-

खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)
42/2	0.070	46/3	0.018
43/1	0.016	45	0.036
46/2	0.060		
योग- कुल ख.नं.5 कुल रकबा 0.200 हे.			

अधिनियम की धारा-11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है:-

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग-1 पृ.क्र. 1530
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. इस्पात टाईम्स में दिनांक. 11.10.2015
   2. नईदुनिया में दिनाक 13.10.2015
3. ग्राम- विजयपुर में मुनादी के माध्यम से दिनांक 08.10.2015

(3) प्रकरण में धारा-11(1) के अधिसूचना प्रकाशन पश्चात् किसी भी हितबद्ध पक्षकार अथवा किसी अन्य के द्वारा कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नही किया गया। फलस्वरूप अधिनियम की धारा-15 (2) के तहत सुनवाई की आवश्यकता नही हुई।

(4) अतएव प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की घोषणा के प्रकाषन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया :-

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 29.04.2016 को भाग-1 पृ.क्र. 727,
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. जनकर्म में दिंनाक. 03.4.2016
   2. नईदुनियां में दिंनाक. 04.4.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 26.4.2016

प्रकरण में धारा 19 की घोषणा के प्रकाषन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नही हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा-21 की सूचना दिनांक 05.5.2016 को जारी कर भू-स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 13.6.2016 को आहूत किया गया। किन्तु किसी भी भू-स्वामी के द्वारा कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप प्रकरण में आगे की कार्यवाही करते हुए प्रस्तावित भूमि तथा उस पर स्थित परिसंपत्ति के संबंध में आवेदक निकाय एवं तहसीलदार रायगढ़ से संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा के साथ प्राप्त किया गया।

(6) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दि. 23/09/2016 एवं पंचनामा दिनाँक 23/09/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। अधिग्रहित की जा रही भूमि का स्थल जांच कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक-भाग-1 क,ख,ग,घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश का अंग है।

(7) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्याँकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संषोधित) की दर से तुलना में भूमि का गाईड लाईन की दर देय मुआवजा अधिक होने के फलस्वरूप गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर के अनुरूप निर्धारण किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015–16 की दर प्रति वर्ग मीटर में.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रति वर्ग मीटर में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित खार	4900/–	2730.09/–	800000/–

(क) भूमि का मुआवजा –

क्र.	अधिग्रहित भूमि का		गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राशि	पुर्नवास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
	प्रकार	रकबा				
1	खार असिंचित	0.200	20586955/–	5460180/–	395360/–	20586955/–

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा – निरंक

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा – निरंक

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) रू.20586955/–

(8) प्रकरण मे भू–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन मुआवजा गणना प्रपत्र तैयार कराया जा चुका है। पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(9) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम **विजयपुर** की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरां नं.5 कुल रकबा 0.200 हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि **रूपये 20586955/– (अक्षंराक दो करोड़ पांच लाख छियासी हजार नौ सौ पछपन रूपये मात्र)** परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपति का मुआवजा गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश कां अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ –4–03/सात–1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू–अर्जन /2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ–4–28/सात–1/ 2014/दिनांक 04.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड –लाईन वर्ष 2015–16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

तद्नुसार प्रकरण में अवार्ड पारित किया जाता है।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

पृ.क्रमांक 1934 /भू–अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 25–11–2016
प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, भू–अर्जन शाखा, रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड राशि **रूपये 20586955/– (अक्षंराक दो करोड़ पांच लाख छियासी हजार नौ सौ पछपन रूपये मात्र)** का भुगतान अवार्डधारियों को किये जाने हेतु प्रदाय करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबंधक,एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आवार्ड की प्रति संबंधित भू–स्वामियों को उपलब्ध करावे। प्रकरण में समय सीमा के भीतर पूनर्वास अवार्ड की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। अतः पुनर्वास प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तत करें।
4. उप पंजीयक, रायगढ़ को सूचनार्थ।
5. तहसीलदार,रायगढ़
6. राजस्व निरीक्षक, रायगढ़,
7. हल्का पटवारी क्रमांक 30 रा.नि.मं. रायगढ़

– को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)